

पत्रांक:-जी0एस0टी0-2020-21/फा.सं0-509/ 51 /वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: ०९ जुलाई, 2020

शुद्धि पत्र

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना सं0-जी0एस0टी0/2020-21/फाइल सं0-509/04/वाणिज्य कर
दिनांक 24 अप्रैल, 2020 में-

द्वितीय प्रस्तर की, प्रथम पंक्ति में, शब्द एवं वाक्यांश 'दूसरे परंतुक' के स्थान पर शब्द एवं वाक्यांश 'प्रथम
परंतुक' प्रतिस्थापित किया जाता है।


(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,